न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः– जीसीएमएस नं. 2021/91

1. नरेन्द्र पुत्र प्रभूदयाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री राजकुमार सैनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2020 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट का पक्का निर्माण तुड़वाकर बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 53 गत खसरा नम्बर 141 से बना है जो उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 141 आबादी भूमि रही है तथा उक्त तथ्य की ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है, उक्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा उसके पूर्वजों के समय से ही रहा है, उक्त कानूनी तथ्यों पर भी हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर न कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि इसी भूमि बाबत पूर्व में भी अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 की कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज किया गया था जो उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभूदयाल के नाम से न्यायालय नायब तहसीलदार चिड़ावा के यहॉ चला था जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि मानते हुऐ व अपीलान्ट के पिता

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का पुराना कब्जा मानकर नियमन की सिफारिश की गई थी। ऐसी सूरत में अब पुनः अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करना गलत व विधि विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त भी है कि एक ही वाद, एक ही विषयवस्तु बाबत पूर्व मे हुए निर्णय के अस्तित्व में रहते हुए उस प्रकरण में पुनः निर्णय पारित नही किया जा सकता है किन्तु उक्त कानूनी बिन्दूओं पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि पर सम्वत् 2012 से पूर्व से अपीलान्ट के परिवार द्वारा पक्का आवास बनाकर रहे रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज थी। पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.07.2004 के गवाहान भरतसिंह, मोतीराम, भोलाराम के बयान दिनांक 08.04.2004, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खुडाना दिनांक 37.02.2002, 05.03.1998 से अपीलान्ट का पुराना कब्जा साबित है उसके बावजूद भी अपीलान्ट को बेदखल करने में अधीनस्थ न्यायालय भयंकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म बारानी द्वितीय की भूमि है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपने कब्जे की बाबत ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे उसके द्वारा किये गये कब्जे को वैद्य माना जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व में अपीलान्ट के पिता प्रभूदयाल के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की 91 की कार्यवाही की गई जिसके सम्बन्ध में नायब तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 28.08.2004 द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज का वादग्रस्त आराजी पर पुख्ता मकान आवास आदि मानते हुए एवं राज्य सरकार के परिपत्रो के संदर्भ में बेदखल नही करना उचित मानते हुए अतिक्रमण को नियमानसार नियमन करने की सिफारिश की गई है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.08.2004 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में जब भूमि विवादग्रस्त बाबत पूर्व में किये गये निर्णय के अस्तित्व में रहते हुऐ उसी भूमि बाबत पुनः आदेश पारित होना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

P.T.O.

समक्ष दस्तावेजात इत्यादि भी प्रस्तुत किया गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर